छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–56 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/ 02 / 2025

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for non-forestry use of 230.780 ha. of forest land (63.930 ha. Protected Forest & 166.850 ha. Revenue Forest land) for Coal mining in Bhatgaon Underground Mine of SECL, Bhatgaon Area in Surajpur District in the State of Chhattisgarh (Online Proposal No. FP/CG/MIN/39553/2019)– regarding.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-14/2024-FC, दिनांक 14.08.2024।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / खनिज / 331–262 / 40, दिनांक 06.01.2025।

–––00–––

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/– उक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 दिनांक 06.01.2025 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नको सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (434 पृष्ठीय)।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–56 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04 / 02 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
4. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840
ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–262/40 — नवा रायपुर, दिनांक 06/01/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छ.ग शासन वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषयः– **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) 1980 for non-forestry use of 230.780 ha. of forest land (63.930 ha. Protected Forest & 166.850 ha. Revenue Forest Land) for Coal mining in Bhatgaon Underground Mine of SECL, Bhatgaon Area in Surajpur District in the State of Chhattisgarh (Online Proposal No. FP/CG/MIN/39553/2019/2019) - reg.**

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 14.08.2024
2. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्र./एफ 5–56/2023/10–2 दि. 30.08.2024
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र./ 2024/ 3226 दिनांक 17.12.2024

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 14.08.2024 से 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र–2 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

संदर्भित पत्र–3 द्वारा प्रेक्षा अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.	वांछित जानकारी	प्रस्तुत प्रतिवेदन
i	The Ministry vide its letter no. 8-55/2016-FC dated 04.07.2017 has granted Stage-II approval for diversion of 75.055 ha of forest land for Bhatgaon mining project in favour of M/s SECL. In this regard, the State Govt. is requested to submit the status of compliance of conditions stipulated in Stage-II approval to this Ministry.	भारत सरकार के पत्र क्र./8-55/2016-FC दिनांक 04.07.2017 को महान–2 को ओपन कास्ट परियोजना के अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो बलरामपुर वनमण्डल में स्थित है। बलरामपुर वनमण्डल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/1604 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा छःमाही पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया एवं मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्र./मा.चि./न.क्र–62/2024 /5671 दि. 31.07.2024 के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल को उक्तानुसार प्रस्तुत छःमाही पालन प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज कर आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन पर मौका सत्यापन उपरांत कियान्वयन के संबंध में किये गये कार्यों का विस्तृत उल्लेख कर अपने अभिमत सहित पालन प्रतिवेदन शीघ्र

525

		प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। (पत्र क्र. 1604 दि. 18.07.2024 एवं पत्र क. 5671 दि. 31.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है) **संलग्नक क्रमांक–01**
ii	There is a reference to three proposals submitted in the past for the project. The total area of all these proposals comes out to be 460.489 ha which implies that more forest land is involved in the mining lease area. The state shall therefore give the detail of total lease area/project along with quantum of total forest and non-forest land involved. The detail of the forest area for which approval has already been accorded and the forest area for which it is yet to be obtained shall be submitted, along with the KML files of the corresponding area.	आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा भटगांव भूमिगत खदान परियोजना के प्रस्तुत प्रस्ताव के फार्म –ए में दर्शित 03 खनन प्रकरणों जिसमें कुल रकबा 460.489 हे. है। एवं भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत समस्त स्वीकृत प्रकरणों तथा प्रस्तावित प्रकरणों की जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा विवरण के साथ प्रस्तुत की गई है। जिसकी छायापति संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक–02**
iii	User gency has mentioned In Part-I that mining plan has been approved in year 1979. However, copy of approved mining plan has not been submitted along with the proposal. Further, the validity of the mining plan approved 45 years ago for fresh mining in the area may be examined. The State/UA shall ensure that the proposed landuse in the diversion proposal is commensurate with the mining plan. A comparative analysis of the component wise area proposed for diversion and the component wise breakup as per mining plan shall be submitted.	परिवेश पोर्टल के पार्ट –1 में आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एस.ई.सी. एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा भटगांव भूमिगत खदान परियोजना में माईनिंग प्लान वर्ष 1979 की प्रति अपलोड की गई थी जिसके फलस्वरुप आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित माईनिंग प्लान जो वर्ष 1984 में बनाई गई थी कि प्रति संलग्न है। उक्त खनन परियोजना भूमिगत होने के कारण समस्व खनन कार्य माईनिंग प्लान के अनुसार की जायेगी। **संलग्नक क्रमांक–03**
iv	Keeping in view the provisions contained in para 7.8 (a) of the consolidated guidelines the state has to ensure that the requisite details including subsidence prediction report are there in the mining plan and the related documents. A brief note in this regard shall be submitted.	भटगांव भूमिगत खदान परियोजना में आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा खनन योजना में subsidence prediction report की छायाप्रति संलग्न की गई है। **संलग्नक क्रमांक–04**
v	As per the information uploaded in Part-I on the PARIVESH portal, the number of families displaced due to the project is reported as Nil, However, in the physical copy of the proposal as submitted by the user agency, it has reported that 653 families have to be displaced due to this project in Surajpur district. Copy of R&R plan has also been submitted. Further, CCF, Surguja has mentioned in his site report that 999 persons have been displaced and project affected persons have been given land employment and compensation and an approved package for rehabilitation. Clarification in this regard needs to be submitted.	उक्त प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर भाग–1 में विस्थापित परिवारो की संख्या शून्य दी गई थी, जबकि भटगांव भूमिगत खदान परियोजना के प्रस्ताव में विस्थापित परिवारों की संख्या 653 है। इसके अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 999 व्यक्ति विस्थापित हुये है, जो वर्तमान समय में 1089 विस्थापित व्यक्तियों में से 1064 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है, जिसमें आर.एन.आर. प्लान के अनुसार भूमि रोजगार, मुआवजा तथा पुनर्वास का विवरण आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक–05**
vi	Satellite imagery shows road, solid structures such as settlement, cultivation land etc. is visible on the surface of,	भटगांव भूमिगत खदान परियोजना के लीज क्षेत्र में सैटेलाईट इमेजरी अनुसार उक्त क्षेत्र की सतह पर सडक, ठोस संरचनाएं जैसे कि बस्ती

	Bhatgaon Under Ground lease area. The state shall examine and submit a detailed report on the same and action taken in this regard.	एवं खेती की जमीन दर्शित हो रही है. जिसकी जांच उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी सूरजपुर के द्वारा दिनांक 22.11.2024 को वन अमले के साथ उक्त क्षेत्र में किया गया. जिसमें जांच में पाया गया कि आवेदित स्थल पर पूर्व से डामरीकृत पक्का रोड बना हुआ है एवं कुछ लोगो द्वार अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर पक्का/कच्चा मकान बनाकर निवासरत है तथा काबिज भूमि पर कृषि कार्य व खेती बाडी किया जा रहा है। स्थल का मौका पंचनामा सहित फोटोग्राफ की प्रति संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक–06**
vii	As per DSS analysis, the proposed forest area falls in High Conservation Value (HCV) Zone as per Decision Rule 1 (due to presence of protected area). The proposed area is within 1 km radius of the Tamor Pingla WLS. However, the state has not given any such information. The state shall examine the same and submit the justification in this regard.	प्रस्तावित भटगांव भूमिगत खदान परियोजना की सीमा से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की नजदीकी सीमा की न्युनतम दूरी 15.20 कि.मी. है। गूगल अर्थ से ली गई गूगल मैंप की छायाप्रति संलग्न है। जिसमें प्रस्तावित खनन क्षेत्र से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी दर्शित है। **संलग्नक क्रमांक – 07**
viii	Keeping in view the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary the state shall submit the comments from PCCF (WL)/CWLW and also intimate the status of recommendation of SCNBWL.	प्रस्तावित भटगांव भूमिगत खदान परियोजना की सीमा से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की नजदीकी सीमा की न्युनतम दूरी 1.000 कि.मी. न होकर 15.20 कि.मी. है, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है। **संलग्नक क्रमांक – 07**
ix	In accordance to para 7.8 (b) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 the user agency shall submit an undertaking stating that under no circumstances the underground mining operations will be converted to opencast mining operations on the said forest land at a later date.	भटगांव भूमिगत खदान परियोजना के अंतर्गत सूरजपुर जिले में सूरजपुर वनमण्डल के सूरजपुर परिक्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वनभूमि 63.930 हे. तथा राजस्व वनभूमि 166.850 हे. कुल वनभूमि रकबा 230.780 हे. भूमि प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत खनन क्षेत्र को खुली खदान मे परिवर्तित नहीं किया जायेगा। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक – 08**

अतः संदर्भ पत्र–1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर से प्राप्त 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–262/ 41 नवा रायपुर, दिनांक 06/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर।
2. **वन मंडलाधिकारी**, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक**, एस.ई.सी.एल, भटगांव क्षेत्र, जिला सूरजपुर।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़